भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.5003
(01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही

5003. श्री आशीष दुबे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) (चरण- ।।) के अंतर्गत आवासों के आबंटन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा लागत में संभावित वृद्धि को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि आवास आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सुलभ और वहनीय रहें ; और

(ग) क्या इन लाभार्थियों को जीवनयापन की स्थायी स्थितियों के लिए जल आपूर्ति , बिजली और सड़क जैसी अतिरिक्त अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान की जा रही है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी)- 2011 के तहत निर्धारित आवास वंचना मापदंडों और बहिर्वेशन मानदंडों एवं संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा उचित सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया के पूरा होने पर आधारित है। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पात्रता की पहचान करने के लिए इन मापदंडों/मानदंडों को एसईसीसी 2011 डेटाबेस और आवास+2018 पर लागू किया गया था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु पीएमएवाई-जी को 5 और वर्षों (वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29) के लिए विस्तारित करने को मंज़ूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने संशोधित बहिर्वेशन मानदंडों का उपयोग करके आवास+ सूची को अपडेट करने को भी मंजूरी दे दी है। अधिकतम पारदर्शिता और आवासों की पहचान से लेकर निर्माण पूरा होने तक की प्रक्रिया में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित (ईकेवाईसी फेस आधारित प्रमाणीकरण) समाधानों का उपयोग करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एक नया सर्वेक्षण किया जा रहा है , जैसा कि नीचे दिए गए विवरण में बताया गया है:

i. **आवास+** 2024 **ऐप-** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक अनूठा ऐप , जिसमें पूर्व-पंजीकृत सर्वेक्षकों के माध्यम से सहायता प्राप्त सर्वेक्षण, आवास तकनीकी चयन, चेहरा प्रमाणीकरण, आधार आधारित ई-केवाईसी, परिवारों का डेटा कैप्चर , मौजूदा आवास की स्थिति , समय मुद्रित और मौजूदा आवास के प्रस्तावित निर्माण स्थल की जियो टैग की गई फोटो लेना जैसी सुविधाएँ हैं। ऐप ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन मोड में भी काम करता है। पीएमएवाईजी (2024-29) के अगले चरण के लिए आवास+ 2024 ऐप सर्वेक्षण में पात्र परिवारों के लिए "**स्व-सर्वेक्षण**" सुविधा उपलब्ध है।

ii. धोखाधड़ी संबंधी गतिविधियों को रोकने और संभावित अनियमितताओं की जानकारी प्रदान करने के लिए एआई/एमएल मॉडल का उपयोग।

iii. अनुशंसा प्रणाली – यह मॉड्यूल एक पूर्ण निर्मित आवास की अपलोड की गई तस्वीरों में पक्की दीवार, पक्की छत, कच्ची दीवार, कच्ची छत, लोगो, खिड़की, दरवाजा और व्यक्ति जैसी आवासों की विभिन्न विशेषताओं की पहचान करता है और अनुमोदन के लिए अंतिम तस्वीर की अनुशंसा करता है।

iv. ई-केवाईसी सुविधा – यह ऐप आधार के साथ एकीकृत है और पीएमएवाई-जी लाभार्थियों का सत्यापन करने के लिए एआई-सक्षम फेस प्रमाणीकरण तकनीक का उपयोग करता है।

v. जीवंतता पहचान: लाभार्थियों की पहचान के लिए आवास ऐप में आई ब्लिंक/शारीरिक गति की पहचान की सुविधा।

vi. 100% आधार-आधारित भुगतान: लाभार्थियों के खातों में सीधे अंतरण किया जाएगा।

(ख) पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली इकाई सहायता केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार है और वर्तमान में मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों सहित) में 1.30 लाख रुपये की इकाई सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों [उत्तराखंड , हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर (यूटी)] के लिए केंद्र और राज्य के बीच वित्तपोषण पैटर्न 90:10 है जबकि बाकी राज्यों के लिए 60:40 है और विधानसभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% वित्तपोषण केंद्र द्वारा वहन किया जाता है।

इकाई सहायता के अलावा , लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ अनिवार्य अभिसरण के माध्यम से अकुशल श्रम मजदूरी के 90/95 श्रम दिवसों की सुविधा प्रदान की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा योजना या वित्तपोषण के किसी अन्य विशेष स्रोत के माध्यम से शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है।

कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए इकाई सहायता के अलावा अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। आवास निर्माण को और अधिक वहनीय बनाने के लिए , इस योजना में राज्य-विशिष्ट आवास डिजाइन शामिल किए गए हैं और स्थानीय सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है , जिससे लागत और पर्यावरणीय प्रभाव कम हो रहे हैं।

(ग) जी,हाँ। इस योजना के तहत , पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए , अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण को प्रोत्साहित किया जाता है। योजना दिशा-निर्देश एसबीएम-जी , मनरेगा योजना या किसी अन्य विशेष वित्त पोषण स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण में सहायता करते हैं। पाइप से पेयजल , बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन , सौर लालटेन और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा , आवास की छत पर सौर ऊर्जा , मनरेगा योजना के माध्यम से निर्माण सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति और सरकारी कार्यक्रमों के तहत आजीविका के अवसरों के लिए स्व सहायता समूह प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ाव के लिए अभिसरण भी किया जा रहा है।

******